मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

भोपाल, दिनांक 10/9/12

क्रमांक एफ 1- 43 /2012/20–1

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः– **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही के संबंध में।**

--0--

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–43/2012/20–1 दिनांक 29.08.2012 द्वारा प्राथमिक शालाओं के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के 49859 रिक्त पद जिलेवार जारी किये गये है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01–01/2012/20–1 दिनांक 27.03.2012 तथा आदर्श विज्ञापन का प्रारूप क्रमांक एफ 1–49/2011/20–1 दिनांक 10.01.2012 को जारी किया गया है। उक्त सभी आदेश www.educationportal.nic.in पर उपलब्ध है। श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही आपके स्तर से समय–सीमा में की जाना अपेक्षित है :–

1. ***जनपद पंचायत अंतर्गत नियोजन :-***
   प्राथमिक शाला के लिए उपलब्ध कराये गये पदों का नियुक्तिकर्तावार एवं आरक्षणवार चिन्हाकन का कार्य जिला स्तर से किया जाना है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों की पूर्ति केवल ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत स्तर पर की जाना है। नगरीय निकाय अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति संविलियन के माध्यम से की जायेगी जिससे पूर्व से पदस्थ अध्यापकों को उचित स्थान पर पदांकन का अवसर प्राप्त हो सकें। इस हेतु यह आवश्यक हागा कि नगरीय क्षेत्र के लिए चिन्हाकित किये गये पदों को कम करते हुए केवल जनपद पंचायत अंतर्गत रिक्त पदों पर ही नियोजन के संबंध में कार्यवाही की जाए।
2. ***विज्ञापन तैयार करना एवं लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध करना :-***
   विभाग द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन के लिए विज्ञापन का प्रारूप विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49/2011/20–1 दिनांक 10.01.2012 को जारी किया गया है। जिला अंतर्गत जनपद पंचायतों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के प्राथमिक शाला के लिए नियुक्तिकर्तावार (जनपद पंचायतवार) एवं आरक्षणवार उपलब्ध कराये गये रिक्त पद का जिलेवार समेकित रूप से विज्ञापन तैयार किया जाए। विज्ञापन के प्रारूप की हार्ड एवं सॉफ्ट कापी लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 3.10.2012 तक स्थानीय निकाय की ओर से जारी करने हेतु उपलब्ध

कराया जाए। विज्ञापन प्रारूप में पदों को दर्शाने वाली तालिका "एक्सल" में निकायों के नाम हिन्दी कृतिदेव या देवलिस में तथा पदों की संख्या अंग्रेजी अंकों में दर्शाया जाना है।

3. ***ऑनलाईन नियुक्तकर्ता अधिकारी का चयन :-***

संचालनालय द्वारा स्थानीय निकायों की ओर से बनाये गये विज्ञापन को वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। प्रदेश का एकजाई विज्ञापन जारी होने के उपरांत प्रथम चरण में पात्रता परीक्षा 2012 में अर्हताधारी केवल प्रशिक्षित (नियम 2005 की अनुसूची–दो निर्धारित योग्यता राजपत्र दिनांक 27.06.2011 अनुसार) अभ्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.03.2012 की कंडिका–6 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में जिलास्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवायेगें एवं सत्यापन पंजीयन क्रमांक प्राप्त करेगें। इसके उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क सेंटर में नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऑनलाईन चयन करेगें, जिसके अधीन वह नियुक्त होना चाहता है। अभ्यर्थी को एक से अधिक, जितना वह चाहें नियुक्तकर्ता अधिकारी का चयन करने की स्वतंत्रता रहेगी। इस कार्य हेतु अभ्यर्थियों को ₹ 85 का भुगतान कियोस्क सेंटर को करना होगा, जिसकी पावती कियोस्क सेंटर द्वारा उसे प्रदान की जायेगी।

4. ***मेरिट सूची का ऑनलाईन प्रदर्शन :-***

एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थियों से नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विकल्प को प्राप्त करने के उपरांत नियुक्तकर्तावार, आरक्षणवार मेरिट के क्रम में चयन सूची जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपनी उपस्थिति देगा। नियुक्तकर्ता अधिकारी अभ्यर्थी के योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख से पुनः सत्यापन करेगा एवं अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

5. ***समय-सारणी :-***

उक्त उल्लेखित प्रक्रियाएं एक निश्चित समयावधि में पूरे प्रदेश में एक साथ संपन्न की जाना है। विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने की समय सारणी निम्नलिखित अनुसार है :–

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के भर्ती प्रक्रिया हेतु समय-सारणी

क्रं.	प्रस्तावित कार्यवाही	सक्षम अधिकारी	निर्धारित तिथि
1	2	3	4
1	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु समुचित आदेश जारी करना।	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	10.09.2012 तक
2	सर्व संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से आदेश उपलब्ध कराना एवं पोर्टल पर रखना।	लोक शिक्षण संचालनालय	12.09.2012 तक
3	निर्धारित प्रारूप में हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में विज्ञापन प्रारूप तैयार करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला कलेक्टर के समन्वय में।	01.10.2012 तक
4	हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में विज्ञापन प्रारूप संचालनालय को उपलब्ध करना।	जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त	03.10.2012 तक

5	प्रदेश का अपेक्षित विज्ञापन तैयार करना एवं पोर्टल पर अपलोड करना।	एम.पी. ऑनलाईन	10.10.2012 तक
6	जिला मुख्यालय पर निर्धारित सत्यापन केन्द्र में पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन पंजीयन क्रमांक जारी करना।	जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जिला कलेक्टर के समन्वय में	11.10.2012 से 25.10.2012 तक कार्यालयीन समय में
7	अभ्यर्थी द्वारा एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से। नियुक्तकर्ता अधिकारी का चयन	एम.पी. ऑनलाईन	12.10.2012 से 26.10.2012 को रात्रि 11.00 बजे तक
8	पोर्टल पर मेरिट चयन सूची को उपलब्ध कराना।	एम.पी. ऑनलाईन	03.11.2012 को अपरान्ह 4.00 बजे
9	चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपनी उपस्थिति देना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	04.11.2012 से 16.11.2012 अपरान्ह 5.00 बजे

(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 10/9/12

पृष्ठां. क्रमांक एफ1-43/2012/20-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0।
10. सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होंशगाबाद रोड़, भोपाल (मध्यप्रदेश)

अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग